

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय) (A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-1213/JH/26/2024-SSW

Dated: 10/07/2024

To.

श्री चन्द्रशेखर, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, एफएफपी बिल्डिंग, रांची – 834002 (Email: sec_rural_jhr@nic.in) (Ph No. 0651-2400244)

Sub: जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (Jharkhand State Livelihood Promotion Society), रांची द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में – श्री सुखदेव लोहरा, (code – 3272) प्रखंड कार्यक्रम प्रबन्धक, BMMU नगडी, रांची का दिनांक 25.10.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 14.06.2024 at 12:00 Noon in Hotel BNR, Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र/R.S. Misra) अनुसंधान अधिकारी/Research Officer Ph No. 011-24641640

Copy to:-

श्री सुखदेव लोहरा , ग्राम-जनवल, पोस्ट- किसको, जिला- लोहारदगा (झारखंड) – 835302 मो न. – 7909098958

Copy for information to:-

PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
 NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री सुखदेव लोहरा (code - 3272), प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक, BMMU नगड़ी, रांची को जिला प्रशासन द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, रांची द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में - डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 12.00 बजे, होटल BNR चाणक्य, रांची में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या : NCST/SER-1213/JH/26/2024-SSW

बैठक की तिथि: 14.06.2024 को 12.00 बजे

स्थान: होटल BNR चाणक्य, रांची।

प्रतिभागियों की सूची - संलग्न

श्री सुखदेव लोहरा, प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक, BMMU नगड़ी, रांची ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 25.10.2023 में बताया कि जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, रांची द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होनें यह भी बताया कि जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (Jharkhand State Livelihood Promotion Society), रांची द्वारा दिनांक 18.01.2023 एंव 17.07.2023 को गाली गलोच किया जाता है तथा अपने पद का दुरुपयोग कर परेशान किया गया जिसके कारण मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर प्रताइना का शिकार होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी बताया कि पूर्व में उन्होने पितृत्व अवकाश (paternity leave) देने के लिए काफी आग्रह किया गया किन्तु उन्हे paternity leave देने से इनकार कर दिया गया। अतः न्याय करने का कष्ट करें।

उपरोक्त प्रकरण में आयोग ने सम-संख्यक नोटिस दिनांक 09.01.2024 द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची को तथ्य तथा आख्या हेतु भेजा गया परंतु ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार से रिपोर्ट अप्राप्त थी। माननीय सदस्या, NCST ने इस प्रकरण पर 14.06.2024 को 12:00 बजे रांची में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार और आवेदक के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना संबन्धित अधिकारी एवं आवेदक को समसंख्यक नोटिस एवं पत्र दिनांक 04.06.2024 के द्वारा दे दी गयी।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने CEO तथा अन्य अधिकारियों को बैठक में प्रतिनियुक्ति पर भेजा। बैठक में प्रतिनियुक्ति अधिकारीगण एवं आवेदक उपस्थित हुए तथा उन्होनें बताया कि विभाग द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.06.2024 के आदेश द्वारा एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जो 5 कार्यालय दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग ने विभाग द्वारा देरी से कि गयी कार्यवाई से असंतुष्टि प्रकट की।

दोनों पक्षो को सुनने के बाद, आयोग ने निम्न संस्तुतियाँ की तथा ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह किया की वह 15 दिन के भीतर की गयी कार्यवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

- 1. विभाग द्वारा दिनांक 13.06.2024 को आदेश जिसके द्वारा जांच समिति गठित की गयी है, की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं।
- 2. जांच समिति द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने अवसर दिया जाये।
- 3. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुसूचित जनजातियों कर्मचारियों के प्रति जागरूकता हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें।
- 4. ग्रामीण विकास विभाग में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए जैसा कि NCST ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी थी। (प्रति संलग्न)

डा. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 12:00 बजे, रांची में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (Jharkhand State Livelihood Promotion Society), रांची द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में श्री सुखदेव लोहरा (code - 3272), प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक, BMMU नगड़ी, रांची के प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

Ι	ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची	
1.	Shri Sandeep Singh, CEO	
2.	Shri Rakesh Kumar, Dy. Secretary,	
3.	Shri Ranjeet Kumar, Consultant Legal Advisor	
II	Petitioner	
	Shri Sukhdev Lohra	

अलका तिवारी, भा.प्र.सं. संहि भारत सहकार ALKA TIWARI, I.A.S. SECRETARY TO GOVI. OF INDIA



भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आथोग GOVERNMENT OF INDIA NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

D.O.No. 18/01/NCST(IGRC)2021-Coord.

3rd August, 2021

.....2/-

Respected Sh.

As you are aware, the National Commission for Scheduled Tribes (the Commission) has been set up under Article 338A of the Constitution of India on 19.02.2004 and vested with the responsibility, inter-alia, to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided to the Scheduled Tribes under the Constitution or under any order of the Government and other laws for the time being in force and to evaluate the working of such safeguards.

- Every year, the Commission receives a large number of complaints relating to service matters on issues such as (i) Non maintenance of reservation roster and not filling up of reserved vacancies, (ii) Discrimination in promotion/seniority/MACP/ACP, (iii) Non-appointment on compassionate grounds, (iv) Downgrading of APARs, (v) Termination denefits etc.
- 3. To ensure active participation of various Government Departments in redressal of employment/service related grievances of Scheduled Tribe employees, the Commission recommends that the Departments and the Autonomous Bodies/PSUs/Attached/Subordinate offices, which are controlled by the Department should constitute an "Internal Grievance Committee". The composition of the committee may be as under:

(1)	SAG level officer of the Ministry/Department	Chairperson
(ii)	SAG/Director level officer of external Department (Scheduled Tribe)	Member
(iii)	Chief Liaison Officer/Liaison Officer (not below the rank of Deputy Secretary)	Member
(iv)	Director/Deputy Secretary level Officer (Having good knowledge of rules & procedure of Govt. of India)	Member
(v)	ST Officer of Director/Deputy Secretary/Deputy Director level (preferably lady to be nominated from other Ministry/Department incase an officer is not available within the Ministry/Department)	Member

Note: It so far as Internal Grievance Committee to be set up in Autonomous Bodies (PSUs / Attached / Subordinate Offices under the Central Govt. Department is concerned, the Committee may be chaired by an Executive Director level Officer with the Chief Liaison Officer and a senior officer belonging to ST community as members).

The Internal Grievance Committee will examine the complaints of the employees belonging to Scheduled Tribes on matters such as (i) Non-maintenance of reservation promotion/seniority/MACP/ACP, (iii) Non-appointment on compassionate grounds (iv) Adverse/downgrading of APARs, (v) Termination/dismissal from services (vi) discrimination in transfer/posting (vii) Denial of pensioner benefits etc. and take monthly report and submit to the Head of Organization who will monitor the action taken on the grievances and submit a quarterly report to the Commission including the reports administrative control of the Department, in the format given below:

Quarterly Report for the period fromto

SI.No.	registered	1	unevancee	defaulting
	2	3	4	officer(s)

With regards.

Yours sincerely,

(Alka Tiwari)